संख्या-53/2022/I/148151/2022-23-11099/4037/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2021

विषय:- जनपद सहारनपुर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत नागल सहारनपुर मार्ग शेखपुरा कदीम मार्ग पर सम्पार सं0-84 को बन्द करने हेतु उत्तर रेलवे के सम्पार संख्या-84एसपीएल से 200 मीटर टपरी की तरफ लाइन/नागल रजवाहे पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1176/प्रा0आगणन-सहारनपुर(84एसपीएल)/सेतु-6/21-22, दिनांक 25-10-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत नागल सहारनपुर मार्ग शेखपुरा कदीम मार्ग पर सम्पार सं0-84 को बन्द करने हेतु उत्तर रेलवे के सम्पार संख्या-84एसपीएल से 200 मीटर टपरी की तरफ लाइन/नागल रजवाहे पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-47/2020/122ई/23-11-2020-1/2(156)/2019, दिनांक 29-01-2021 द्वारा लागत रू0 2647.71 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार) (जिसमें मुख्य सेतु-रेलवे पोर्शन की लागत रू0 1008.97 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 1638.74 लाख सम्मिति है।) की प्रदान की गयी है। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण आंकलित लागत 2884.35 लाख (रू0 अट्ठाईस करोड़ चौरासी लाख पैतीस हजार मात्र) +जी0एस0टी0 (नियमानुसार) (जिसमें मुख्य सेतु रेलवे पोर्शन की लागत रू0 1008.97 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 1875.38 लाख सम्मिलित है) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	जनपद सहारनपुर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत नागल सहारनपुर मार्ग शेखपुरा कदीम मार्ग पर सम्पार सं0-84 को बन्द करने हेतु उत्तर रेलवे के सम्पार संख्या-84एसपीएल से 200 मीटर टपरी की तरफ लाइन/नागल रजवाहे पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2647.71 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय)	2884.35 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय)

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) सेन्टेज चार्ज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रायोजना की अनुमोदित लागत में नाला निर्माण मद में प्रस्तावित जी0एस0टी0 के प्रतिभार को अगल से अनुमन्य नहीं की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी। तद्नुसार जी0एस0टी0 की लागत हेतु प्रायोजना के पुनरीक्षित प्रस्ताव के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

(10) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(13) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की जी0ए0डी0, लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट में परिवर्तन/परिवर्धन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश सं0-47/2020/122ई/23-11-2020-1/2(156)/2019, दिनांक 29-01-2021 की शेष प्रतिबन्ध/ शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-3632-दस-2021-2022, दिनांक 08 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- महाप्रबन्धक, संबंधित रेलवे।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in